

भाग – III**हरियाणा सरकार**

सामान्य प्रशासन विभाग

(सामान्य सेवाएं)

अधिसूचना

दिनांक 13 दिसम्बर, 2017

संख्या सांका०नि० 25/संवि०/अनु० 309/2017.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग, सामान्य सेवाएं अधिसूचना संख्या 523-3जी0एस0-70/2068, दिनांक 28 जनवरी, 1970 में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

हरियाणा सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग, सामान्य सेवाएं, अधिसूचना संख्या 523-3जी0एस0-70/2068, दिनांक 28 जनवरी, 1970 में, पैरा 6 में, खंड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(घ) (i) गुप ग पदों के लिए उम्मीदवारों के चयन और किसी विभाग या कार्यालय में नामों की सिफारिश के मामले में, केवल लिखित परीक्षा होगी। साक्षात्कार की प्रथा बंद की जाएगी।

गुप ग पदों पर चयन के संबंध में अंकों की स्कीम में कुल 100 अंक शामिल होंगे, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:—

1. लिखित परीक्षा : 90 अंक

2. सामाजिक-आर्थिक मानदण्ड तथा अनुभव: 10 अंक

अनुभव तथा कुछ वस्तुनिष्ठ सामाजिक-आर्थिक मानदण्ड के लिए अंक निम्नानुसार आबंटित किए जाने हैं :—

(क) यदि आवेदक के पिता, माता, पति-पत्नी, भाई, बहनों, बेटों और बेटियों में से कोई भी व्यक्ति, हरियाणा सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या भारत सरकार के किसी भी विभाग/ बोर्ड/ निगम/ कंपनी/ वैधानिक निकाय/ आयोग/ प्राधिकरण में नियमित कर्मचारी नहीं है।

(5 अंक)

(ख) अनाथ/विधवा:—

(क) यदि आवेदक एक विधवा है ; या

(ख) यदि आवेदक प्रथम या द्वितीय बालक है और उसके पिता की मृत्यु बयालीस वर्ष की आयु पूरी होने से पहले हो गई हो ;

(ग) यदि आवेदक प्रथम या द्वितीय बालक है और आवेदक के पन्द्रह वर्ष की आयु पूरी होने से पहले उसके पिता की मृत्यु हो गई हो।

(5 अंक)

(ग) यदि आवेदक ऐसी अनअधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति और टापरीवास जाति) या हरियाणा के घुमंतू जनजाति से सम्बन्धित है, जो न तो अनुसूचित जाति है और न ही पिछड़ा वर्ग है।

(5 अंक)

(घ) हरियाणा सरकार के किसी विभाग/बोर्ड/निगम/कम्पनी/वैधानिक निकाय/आयोग/ प्राधिकरण में समान या उच्चतर पद पर अधिकतम 10 वर्ष में से अनुभव के प्रत्येक वर्ष या छह मास से अधिक के उसके भाग के लिए आधा (=0.5) अंक। छह मास से कम की किसी अवधि के लिए कोई भी अंक नहीं दिया जाएगा।

(अधिकतम 5 अंक)

किसी भी आवेदक को किसी भी परिस्थिति में दस अंकों से अधिक अंक नहीं दिये जाएंगे और लिपिक के पद के लिए कम्प्यूटर एपरीशियसन तथा एप्लीकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा अनिवार्य होगी।

(ii) विद्यालय शिक्षा विभाग में अध्यापक, शैक्षिक निरीक्षक तथा अध्यापक शिक्षक के पदों के लिए आयोग केवल लिखित परीक्षा के आधार पर गुप ख तथा ग पदों से संबंधित उम्मीदवारों का चयन करेगा तथा नामों की सिफारिश करेगा।

लिखित परीक्षा निम्नानुसार दो भागों में विभाजित की जाएगी जिसमें शामिल है :-

- (क) सामान्य ज्ञान, विवेक बुद्धि, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी तथा यथालागू सम्बद्ध या सुसंगत विषय के लिए 75 प्रतिशत अधिमान ;
- (ख) हरियाणा के इतिहास, सामायिक वर्तमान मामलें, साहित्य, भूगोल, नागरिक शास्त्र, पर्यावरण, संस्कृति इत्यादि के लिए 25 प्रतिशत अधिमान ;
- (ग) उपरोक्त उपखण्ड (ख) अर्हक करने के लिए, उम्मीदवारों को कम से कम पचास प्रतिशत अंक लेने होंगे और प्रश्नों का अनुपात आयोग द्वारा उसके अपने स्तर पर विनिश्चित किया जाएगा।

(iii) ग्रुप घ पदों के संबंध में :-

ग्रुप घ पदों के लिए उम्मीदवारों के चयन और किसी विभाग या कार्यालय में नामों की सिफारिश के मामले में, केवल लिखित परीक्षा होगी। साक्षात्कार की प्रथा बंद की जाएगी।

ग्रुप घ के पदों पर चयन के संबंध में अंकों की स्कीम में कुल 100 अंक शामिल होंगे जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

1. लिखित परीक्षा : 90 अंक
2. सामाजिक-आर्थिक मानदण्ड तथा अनुभव: 10 अंक

अनुभव तथा कुछ वस्तुनिष्ठ सामाजिक -आर्थिक मानदण्ड के लिए अंक निम्नानुसार आंबटित किए जाने हैं :-

- (क) यदि आवेदक के पिता, माता, पति-पत्नी, भाई, बहनों, बेटों और बेटियों में से कोई भी व्यक्ति, हरियाणा सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या भारत सरकार के किसी भी विभाग/ बोर्ड/ निगम/ कंपनी/ वैधानिक निकाय/ आयोग/ प्राधिकरण में नियमित कर्मचारी नहीं है।

(5 अंक)

(ख) अनाथ/विधवा:-

- (क) यदि आवेदक एक विधवा है ; या
- (ख) यदि आवेदक प्रथम या द्वितीय बालक है और उसके पिता की मृत्यु बयालीस वर्ष की आयु पूरी होने से पहले हो गई हो ;
- (ग) यदि आवेदक प्रथम या द्वितीय बालक है और आवेदक के पन्द्रह वर्ष की आयु पूरी होने से पहले उसके पिता की मृत्यु हो गई हो।

(5 अंक)

- (ग) यदि आवेदक ऐसी अनअधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति और टापरीवास जाति) या हरियाणा के घुमंतू जनजाति से संबंधित है, जो न तो अनुसूचित जाति है और न ही पिछड़ा वर्ग है।

(5 अंक)

- (घ) हरियाणा सरकार के किसी विभाग/बोर्ड/निगम/कम्पनी/वैधानिक निकाय/आयोग/ प्राधिकरण में समान या उच्चतर पद पर अधिकतम 10 वर्ष में से अनुभव के प्रत्येक एक वर्ष या छह मास से अधिक के उसके भाग के लिए आधा (=0.5) अंक। छह मास से कम की किसी अवधि के लिए कोई भी अंक नहीं दिया जाएगा।

(अधिकतम 5 अंक)

किसी भी आवेदक को किसी भी परिस्थिति में दस अंकों से अधिक अंक नहीं दिये जायेंगे।

डी0एस0 ढेसी,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

(Authorised English Translation)

HARYANA GOVERNMENT
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(GENERAL SERVICES)

Notification

The 13th December, 2017

No. G.S.R.–25/Const./Art. 309/2017.— In exercise of the powers conferred by article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in the Haryana Government, General Administration Department, General Services, notification No. 523-3GS-70/2068, dated the 28th January, 1970, namely:-

Amendment

In the Haryana Government, General Administration Department, General Services, notification No. 523-3GS-70/2068, dated the 28th January, 1970, in para 6 for clause (d), the following Clause shall be substituted, namely:-

“(d) (i) In case of selection and recommendation of the names of candidates to a department or an office for Group C posts, there shall be written exam only. The practice of interview shall be discontinued.

The scheme of marks in respect of selection to Group C posts shall comprise of total 100 marks, which is detailed below:-

- | | | |
|----|---|----------|
| 1. | Written exam: | 90 marks |
| 2. | Socio-Economic criteria and experience: | 10 marks |

The marks for experience and some objective socio-economic criteria are to be allocated as follows:-

- (a) If no person from among the applicant's father, mother, spouse, brothers, sisters, sons and daughters is, was or has been a regular employee in any Department/ Board/ Corporation/ Company/ Statutory Body/ Commission/ Authority of Government of Haryana or any other State Government or Government of India.

(5 marks)

- (b) Orphan/Widow:-

- a. if the applicant is a Widow ; or
- b. if the applicant is the first or the second child and his father had died before attaining the age of 42 years ; or
- c. if the applicant is the first or the second child and his father had died before the applicant had attained the age of 15 years.

(5 marks)

- (c) If the applicant belongs to such a denotified tribe (Vimukt Jatis and Tapriwas Jatis) or Nomadic tribe of Haryana which is neither a Scheduled Caste nor a Backward Class.

(5 marks)

- (d) Experience: One-half (=0.5) mark for each year or part thereof exceeding six months of experience, out of a maximum of 10 years, on the same or a higher post in any Department/ Board/ Corporation/ Company/Statutory Body/Commission/Authority of Government of Haryana. No marks will be awarded for any period less than six months.

(a maximum of 5 marks)

No applicant shall be given more than 10 marks under any circumstances and for the post of Clerk, the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications shall be mandatory.

- (ii) For the posts of Teacher, Educational Supervisor and Teacher Educator in School Education Department, the Commission shall make selection and recommendation of the names of candidates belonging to Group B and C posts on the basis of written exam only.

The written exam shall be divided into two portions comprising:-

- (a) 75% weightage for General Awareness, Reasoning, Maths, Science, English, Hindi and concerned or relevant subject, as applicable;
- (b) 25% weightage for History, Current Affairs, Literature, Geography, Civics, Environment, Culture etc. of Haryana.

To qualify Clause (b) above, the candidates would have to score minimum 50% marks and the proportion of questions shall be decided by the Commission at its own level.

6(d) (iii) In respect of Group D posts:—

In case of selection and recommendation of the names of candidates to a department or an office for Group D posts, there shall be written exam only. The practice of interview shall be discontinued.

The scheme of marks in respect of selection to Group D posts shall comprise of total 100 marks, as detailed below:—

1. Written exam: 90 marks
2. Socio-Economic criteria and experience: 10 marks

The marks for experience and some objective socio-economic criteria are to be allocated as follows:

- (a) If no person from among the applicant's father, mother, spouse, brothers, sisters, sons and daughters is, was or has been a regular employee in any Department/ Board/ Corporation/Company/Statutory Body/ Commission/ Authority of Government of Haryana or any other State Government or Government of India.

(5 marks)

(b) Orphan/Widow:—

- a. if the applicant is a Widow ; or
- b. if the applicant is the first or the second child and his father had died before attaining the age of 42 years, or
- c. if the applicant is the first or the second child and his father had died before the applicant had attained the age of 15 years.

(5 marks)

- (c) If the applicant belongs to such a denotified tribe (Vimukt Jatis and Tapriwas Jatis) or Nomadic tribe of Haryana which is neither a Scheduled Caste nor a Backward Class.

(5 marks)

- (d) Experience: One-half (=0.5) mark for each year or part thereof exceeding six months of experience, out of a maximum of 10 years, on the same or a higher post in any Department/ Board/ Corporation/ Company/ Statutory Body/ Commission/Authority of Government of Haryana. No marks will be awarded for any period less than six months.

(a maximum of 5 marks)

No applicant shall be given more than 10 marks under any circumstances.

D.S. DHESI,
Chief Secretary to Government, Haryana.